:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 5/21

1. श्री खातरा पिता कालु जाति भील उम्र वयस्क निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)

वादी

बनाम

1. श्री सेंगा पिता बिजिया डेण्डोर उम्र 65 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
2. श्री शंकर पिता मोहन डेण्डोर उम्र 45 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
3. श्री बबला पिता मोहन डेण्डोर उम्र 40 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
4. श्री चंपा पिता मोहन डेण्डोर उम्र 50 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
5. श्रीमती शिला पत्नी शंकर डेण्डोर उम्र 42 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
6. श्री अखम पत्नी शंकर डेण्डोर उम्र 44 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
7. श्रीमती दूर्गा पत्नी बबला डेण्डोर उम्र 38 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
8. श्री मुकेश पिता चंपा डेण्डोर उम्र 19 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
9. श्री रामा पिता सेंगा डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
10. श्री रामजी पिता सेंगा डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
11. श्रीमान तहसीलदार एवं उपंजीयक चिखली जिला डूंगरपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धार 183, 188, 209 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार

–:निर्णयः–

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण गावं डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी होकर खेती बाडी करके परिवार का भरण पोषण कर रहे है।

यह कि वादीगण के अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 170 खसरा नं. 1595/604, कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.1618 है. होकर स्थित है। उक्त आराजी में वादी का कब्जा होकर काश्त करते आ रहे हैं वर्तमान रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज रिकार्ड होकर वादी खातेदार काश्तकार है।

यह कि वादी अपने कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 02 में अंकित आराजी में वाद दर्ज होने के 15 दिन पूर्व फसल की बुवाई को लेकर काम–काज कर रहा था। उसी समय प्रतिवादीगण जबरन अनाधिकृत रूप से वादग्रस्त आराजी में प्रवेश कर लडाई झगड़ा कर विवाद उत्पन्न करने लगे जिस पर वादी ने रोकने की कोशिश की तो मारपीट को उतारू हो गये। जिस पर वादी मौके से भाग कर घर चला गया तो प्रतिवादीगण ने मजदूरों को लेकर वादी के आराजी में कच्चा छापरा बनाकर जबरन हडपने के नियत से अतिक्रमण किया गया है। वादी कहने लगा की जमीन हमारी है जिस पर वादी ने पंचो को इक्ट्ठा कर प्रतिवादीगण को समझाईश की कौशिश की और कच्चा छापरा हटाने की कौशिश की लेकिन प्रतिवादीगण नही माने तथा उक्त वादग्रस्त आराजी पर छपरा निर्माण करना जारी रखा जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो मयाद अवधि में वाद प्रस्तुत है।

यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबंद किये जाना आवश्यक है कि वे वादी की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 170 खसरा नं. 1595/604, कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.1618 है. में निर्मित किये गये कच्चे छपरे को ध्वस्त करने व साथ ही जबरन मकान निर्माण का कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न ही अपने मित्र एजेंट से करावे न ही वादी को वादग्रस्त आराजी में काश्त करने में रूकावट पेदा न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न ही अपने मित्र एजेंट से करावे ।

यह कि ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. खाता सं. 170 खसरा नं. 1595/604, कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.1618 है. में प्रतिवादी द्वारा बनाये गये छपरे को ध्वस्त कर कब्जा वादी को सूपूर्द किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादी ने वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा प्रतिवादीगण को न तो रहन, बक्षीस , विकय किया है। न ही ऐसा कोई दस्तावेज संपादीत किया है जिससे वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम हस्तांतरित मानी जावे ऐसे में प्रतिवादीगण को विधिक अधिकार नही है कि वे वादी की खातेदारी वादग्रस्त आराजी में जबरन निर्माण करे व वादी को काश्त में रूकावट पेदा करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6, 8 एवं 9 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र कुमार डेण्डोर द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया जो शामील पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 एवं 09 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अण्डर टेकिंग लगाया गया। पत्रावली वास्ते जवाब में नियत की गई। दिनांक 11.02.2022 को जवाब दावा पेश हुआ जो शामील पत्रावली हुआ। पत्रावली वास्ते तनकियात नियत की गई। दिनांक 17.06.2022 को तनकियात बना कर स्पष्ट की गई। वकील वादी को साक्ष्य पेश करने के कई अवसर देने पर भी साक्ष्य पेश नही करने पर दिनांक 29.09. 2023 को साक्ष्य वादी बंदी की गई। पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत कि गई। दिनांक 13.10.2023 को वकील वादी ने साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामील पत्रावली किया पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र में नियत किया गया। पत्रावली दिनांक 05.07.2024 को पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित रहे। वकील प्रतिवादी ने हिदायत पेरवी नही करना चाहा तथा प्रतिवादीगण भी अनुपस्थित रहे। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी के प्रार्थना पत्र की एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वकील वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु न्याय हित में अवसर दिया गया। दिनांक 26.07.2024 को वादी के समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य पेश किये।

1. pw1– श्री खातरा पिता कालु निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज0
   प्रदर्श 1 – खाते की हाल जमाबंदी।

उक्त बयानों में बताया गया कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 170 खसरा नं. 1595/604 किता 1 रकबा 0.1618 है. होकर स्थित है। जिस पर काश्त कर मैं वादी अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। प्रतिवादीगण आये दिन मुझ वादी व मेरे परिवार को वादग्रस्त आराजी में काश्त करने में रूकावट पेदा करते है व जबरन ही कच्चा छापर बना लिया था। जिसे जेसे–तेसे कर प्रतिवादीगण से हटवाया लेकिन प्रतिवादीगण अभी भी जबरन कब्जा करने की कोशिश करते हैं इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है एवं वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना आवश्यक हैं ।

साक्ष्य वादी बंद की गई।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से जिरह स्वतः ही बंद की गई। पत्रावली वास्ते एक पक्षीय बहस नियत की गई।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में दोहराते हुए कहां कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 170 खसरा नं. 1595/604 किता 1 रकबा 0. 1618 है. होकर स्थित है। जिस पर काश्त कर वादी अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रतिवादीगण आये दिन वादी व उसके परिवार को वादग्रस्त आराजी में काश्त करने में रूकावट पेदा करते है व जबरन ही कच्चा छापर बना लिया था। जिसे जेसे–तेसे कर प्रतिवादीगण से हटवाया लेकिन प्रतिवादीगण अभी भी जबरन कब्जा करने की कोशिश करते हैं इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है एवं वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना आवश्यक हैं ।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल तथ्यों एवं साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय करना उचित समझता हुं कि–

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 170 खसरा नं. 1595/604 किता 1 रकबा

0.1618 है. में प्रतिवादीगण जबरन मकान निर्माण का कार्य न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। वादी को उक्त आराजी में काश्त करने में रूकावट पेदा न तो स्वयं प्रतिवादीगण करे न ही किसी अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को सरेईजलसा सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली